न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 130/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/357

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.लीला पत्नी सालगराम 2.सालगराम पुत्र बीजाराम जाति मेघवाल निवासी–वाड़िया मजिस्द के पास,मेघवालो का वास, बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.खेताराम पुत्र नेमाराम 2.जमनादेवी पत्नी नगाराम 3.गैराराम पुत्र प्रतापराम 4.मीरादेवी पुत्री नगाराम 5.विशनाराम पुत्र प्रतापराम जाति मेघवाल निवासी बिंजारणी (पारलू) तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 6.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री तखतसिंह नामा अधिवक्ता वादीगण

2.प्रतिवादी एकतरफा।

(मुहर: न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा)

निर्णय

दिनांक– 24/07/2025

संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा विजारणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 43 रकबा 7.7179 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 07.6.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 130/2023
लीला बनाम खेताराम वगैरा

विभाजन वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर वाकेह मौजा बिजारणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 43 रकबा 7.7179 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र सं	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	लगान	चिन्ह
1	लीला पत्नी सालगराम जाति मेघवाल सा. बालोतरा खातेदार	बिजारणी	43	1.5435	बा.अ.	पीला
2	सालगराम पुत्र बीजाराम जाति मेघवाल सा. बालोतरा खातेदार	बिजारणी	43	1.5435	बा.अ.	लाल
3	खेताराम पुत्र नेमाराम 1/3 जमनादेवी,भीखीदेवी पुत्रियां नेमाराम 1/3 भैराराम,किशनाराम पि. प्रतापराम पार्वती पत्नि प्रतापराम 1/3 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	बिजारणी	43	4.6309	बा.अ.	केसरिया

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करें,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिक्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 24/07/2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

सहायक कलक्टर 24/07/2025
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 130 / 2023
लीला बनाम खेताराम वगैरा

प्राथमिक डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 130 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 357

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.लीला पत्नि सालगराम 2.सालगराम पुत्र बीजाराम जाति मेघवाल निवासी वाड़िया मस्जिद के पास, मेघवालो का वास बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.खेताराम पुत्र नेगाराम 2.जगनादेवी पत्नी नगाराम 3.भैराराम पुत्र प्रतापराम 4.मीरादेवी पुत्री नगाराम 5.विशनाराम पुत्र प्रतापराम जाति मेघवाल निवासी बिंजारणी (पारलू) तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 6.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबत:–53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर:–130 / 2023

निर्णय दिनांक :–24.7.2025

वादीगण की ओर से श्री तखतसिंह नामा अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 24.7.2025 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 24.7.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 24.7.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
24/07/2025

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	–––	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	–––
जोड़	–	जोड़	–––

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा